

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठारसीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 236/2020

अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	वनाम	विप्रार्थीगण
रूपसिंह पुत्र भेरसिंह जाति पुरोहित, निवासी प्रताप नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. देवीसिंह पुत्र भेरसिंह 3. अचलसिंह पुत्र भेरसिंह 4. गोविन्दसिंह पुत्र भेरसिंह 5. सुखसिंह पुत्र भेरसिंह 6. बागसिंह पुत्र भेरसिंह जाति पुरोहित, निवासी प्रतापनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री ईश्वरसिंह भाटी।



—:: आदेश ::—

दिनांक : 03.07.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा प्रताप नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 43 रकबा 22.19 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी के सेढासेढ ही विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 150/43, 151/43, 153/43, 152/43, 154/43 रकबा क्रमशः 22.19, 22.19, 22.16, 22.19, 22.18 बीघा आये हुए है। उक्त विवादित आराजी का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 43 का विभाजन होने पर रेकर्ड में अंकन किया गया। प्रार्थी का अपने कब्जा काश्त में कृषि ट्यूबवेल व रहवासी ढाणी बनाई हुई है। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी घर एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपरिथत रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपरिथत पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में गलत अंकन होने जाने से वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 154/43 के स्थान पर खसरा नम्बर 43 के खातेदार, खसरा नम्बर 150/43 के स्थान पर खसरा नम्बर 154/43 के खातेदार तथा खसरा नम्बर 43 के स्थान पर खसरा नम्बर 150/43 के खातेदार का कब्जा काश्त है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिसे उभयपक्ष प्रभावित खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्टा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्टा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतविरान् एवं प्रभावित खातेदारान् द्वारा विवादित आराजी के खसरा नम्बर की वर्तमान तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा प्रतापनगर, तहसील शिव में प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 43 रकबा 22.19 बीघा एवं विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 150/43, 151/43, 153/43, 152/43, 154/43 भूमि की लट्टा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



आदेश आज दिनांक 03.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव